प्रिय साथियों,

हमारे संस्थान परिसर में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 'होम क्वांरटाइन' की सुविधा स्थापित की गई है। इस संबध में आपके संदेहों का निवारण करते हुए मैं कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने संभागों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इससे अवगत करवाएगें-

1. यह संस्थान के स्तर पर स्थापित की गई एक होम क्वांरटाइन सुविधा है जोकि केवल कम जोखिम वाले अथवा ऐसे लोगों के लिए है जिनमें बीमारी के लक्षण नही है। उन लोगों के घर में अलगाव के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, जैसा कि हम से बहुतों के घर में है। उदाहरण के लिए किसी घर में काम करने वाली नौकरानी जिसकी मालिकिन कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस नौकरानी के छोटे घर में पर्याप्त अलगाव का स्थान नहीं है। हांलाकि उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं। वे बंगले के सर्वेंट क्वार्टर, जनक विहार अथवा सीपीडब्लयूडी के सामने निर्माण गतिविधियों के लिए मजदूरों के रूप में रहते हैं।
2. यह न केवल एक राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक आपदा है जिसमें सरकार का सहयोग करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
3. सैंटर के अदंर रहने वाले लोगों, चिकित्सकों, विद्यालय के गेट के अंदर व बाहर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने व उन पर नज़र रखने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। जैसे कि इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा भा.कृ.अनु.सं., के सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। संस्थान के मुख्य द्वार से लेकर विद्यालय तक का रूट ⟶ सिंडिकेट बैंक से पहले दांया मोड़ के पश्चात पहला बायां मोड़ जो सीधा विद्यालय को जाता है उसे निर्धारित किया गया है। और इसके मध्य के सभी छोटे रास्ते बंद कर दिये गए हैं। इस प्रकार औषधालय तथा मदर डेयरी परिसर को इस रास्ते से अलग रखा गया है।
4. दिल्ली आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यकारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट श्री कार्तिकेयन द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके लोगों द्वारा प्रोटोकॉल का पूर्णतया: पालन किया जाएगा। उनका यह संदेश मैं आप सभी के आश्वासन के लिए प्रेषित कर रहा हूं।
5. साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने इस मामले को ऊपर के स्तर तक लें जाने का पूरा प्रयास किया है जैसा कि महानिदेशक महोदय के माध्यम से माननीय मंत्रीगण एवं कृषि सचिव को नीति आयोग के सदस्यों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को, मेरे द्वारा उपायुक्त को, रेजीडेंट ऐसोसिएशन और पीजीएमएमयू द्वारा मुख्यमंत्री को इस संबंध में लिखा गया। सभी संभव प्रयास किए गए ताकि इसे किसी अन्य जगह स्थानांतरित किया जा सके पर ऐसा संभव नहीं हो सका। चूंकि इस आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा अधिनियम लागू है अत: यह सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे सरकार के साथ सहयोग करें।
6. कल मुझे, श्री कार्तिकेयन अपर जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली सरकार से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें स्पष्ट वर्णित है कि पूसा परिसर में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय को 'संस्थागत होम क्वारंटाइन सुविधा बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य और अन्य संबधित अधिकारियों को भी भेजी गई। आदेश में आगे कहा गया है कि इस गतिविधि की सुविधा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा गैर अनुपालना की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग प्रबंधन अधिनियम 1890 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मैं आप सभी से पूर्ण सहयोग की आशा करता हूँ। जैसा कि आप सभी ने अभी तक किया है ''घर में रहिए सुरक्षित रहिए''

इसी का परिणाम है कि हम अपने घरों से दूर क्वारंटाइन होने वाले लोगों में से एक नहीं हैं। भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।

सादर।

ए.के. सिहं

निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

नई दिल्ली

08 अप्रैल, 2020